(274)

नि/निग०/रीवा/2018/01865

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

विशम्भर प्रसाद मिश्र पिता स्व0 श्री सत्य नारायण मिश्र उम्र 92 वर्ष निवासी ग्राम धांधी तह0 गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 ———————— निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

रामप्रसाद पाण्डेय तनय श्री शुत्रुधन प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम धांधी तह0 गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 ————————गैर निगरानीकर्ता /अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्र0क0 63/अ–12/2017–18 आदेश दिनांक 08–01–2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

संक्षिप्त तथ्य

1– आवेदक आराजी खसरा कमांक – 129, 130, 134, 135, 137, स्थित ग्राम धांधी तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 का मालिक भूमिस्वामी स्वत्व अधिपत्य धारी है तथा अनावेदक आवेदक के उपरोक्त वर्णितभूमियो का सरहदी भूमिस्वामी है । अनावेदक द्वारा आवेदक के तनहा स्वामित्व की भूमि 129, 130, 134, के अंश रकवे मे अवैध रूप से मिट्टी डलवा कर पक्का मकान व लैट्रिन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाने लगा । आवेदक द्वारा मना किए जाने पर भी अनावेदक लड़ाई झगड़ा पर आमादा फसाद हुआ व सरहंगी पूर्वक अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य को अंज़ाम देने मे लग गया तब आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील गुढ़ के समक्ष अनावेदक द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने वावत आवेदन पत्र दिनांक 28–11–2017 को प्रस्तुत किया । जिसमे तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से मौके का जांच प्रतिवेदन मंगाया गया । पटवारी द्वारा मौके का जांच किया गया जिसमे अनावेदक द्वारा अनाधिकृत रूप से आवेदक के स्वामित्व की भूमि मे निर्माण किया जाना पाया गया तदनुसार तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदक के पक्ष मे दिनांक 01–12–2017 को स्थगन आदेश जारी किया गया ।

2– आवेदक अपने स्वामित्व की भूमि ख0क0 129, 130, 134, 135, 137 का सीमांकन किए जान वावत आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया ।

(274)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला– रीवा

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 01865

विश्वम्भर प्रसाद मिश्र / रामप्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री कमलेश्वर दुवे अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, सर्किल गुढ़, तहसील गुढ़, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 63 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहितां की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य